ऑन लाईन नं. GCMS 2024/146

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 44/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रणजीत सिंह बिश्नोई पुत्र श्री केवल राम(विकेता), निवासी 417 होमलेंड सिंटी प्रथम, श्रीगंगानगर, मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, मु.न.12 चक 06 ई छोटी, श्रीगंगानगर।
2. श्री केवलराम पुत्र श्री भागीरथ(मालिक), निवासी 24 व्रहमपुरी कालोनी, श्रीगंगानगर, मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, मु.न.12 चक 06 ई छोटी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक: 08.08.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– संख्या प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.04.2024 को समय 02.15 पी. एम. बजे को **मैसर्स– मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, मु.न.12 चक 06 ई छोटी, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर **श्री रणजीत बिश्नोई पुत्र श्री केवलराम (विकेता)** को अपना परिचय देकर संस्थान पर फ्रिज के अंदर तीन स्टील ट्रे के अंदर रखे गये खाद्य पदार्थ **दही(लूज)** के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने फ्रिज के अंदर तीन स्टील ट्रे के अंदर रखे खाद्य पदार्थ 12 किलोग्राम **दही(लूज)** को आमजन को रेस्टोरेंट में विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **दही(लूज)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री केवलराम (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री केवलराम (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ तीनों ट्रे में से, एक स्टील ट्रे के अंदर से जिसमें 04 किलोग्राम दही (लूज) था, जिसमें दो भाग कर एक भाग को समरूप कर 800 ग्राम दही(लूज) को विकेता से खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **दही(लूज)** का नगद

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान 96 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दही(लूज)** को एकरुप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 16–16 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किया और चारों बोतलों पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेवलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2289** दर्ज किया प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2289 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री केवलराम (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./539/Act/2024/539 Dated 13.05.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2289 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **रणजीत सिंह बिश्नोई पुत्र श्री केवल राम(विक्रेता), निवासी 417 होमलेंड सिंटी प्रथम, श्रीगंगानगर, मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, मु.न.12 चक 06 ई छोटी, श्रीगंगानगर और केवलराम पुत्र श्री भागीरथ(मालिक), निवासी 24 ब्रह्मपुरी कालोनी, श्रीगंगानगर, मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, मु.न.12 चक 06 ई छोटी, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **दही(लूज)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.10.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तगण न जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के संस्थान मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, श्रीगंगानगर में दही का सैम्पल भरा गया था। दही का सैम्पल का फेट मामूली अंतर से अमानक पाया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने ग्राहकों को शुद्ध व शाकाहारी खाना व अन्य सामान विक्रय करता है। गर्मी के कारण व फ्रीज में रखे होने के कारण दही अमानक पाया गया है, जिसमें प्रार्थी द्वारा सुधार कर लिया गया है। प्रार्थी के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संस्थान में दही अमानक पाया गया है तो प्रार्थी उक्त त्रुटि को स्वीकार करता है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में नर्मी का रूख अपनाया जाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जावे।

राज्य पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया दही(लूज) का सेम्पल **K-2289** स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक- L.S./539/Act/2024/539 Dated 13.05.2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने जरिए अधिवक्ता अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के संस्थान में दही अमानक पाया गया है तो प्रार्थी उक्त त्रुटि को स्वीकार करता है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में नर्मी का रूख अपनाया जाकर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Dahi** bearing code No. K-2289 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food** as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **रणजीत सिंह बिश्नोई पुत्र श्री केवल राम(विक्रेता), निवासी 417 होमलेंड सिंटी प्रथम, श्रीगंगानगर, मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, मु.न.12 चक 06 ई छोटी, श्रीगंगानगर और केवलराम पुत्र श्री भागीरथ(मालिक), निवासी 24 ब्रह्मपुरी कालोनी, श्रीगंगानगर, मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, मु.न.12 चक 06 ई छोटी, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **रणजीत सिंह बिश्नोई पुत्र श्री केवल राम(विक्रेता), निवासी 417 होमलेंड सिंटी प्रथम, श्रीगंगानगर, मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, मु.न.12 चक 06 ई छोटी, श्रीगंगानगर और केवलराम पुत्र श्री भागीरथ(मालिक), निवासी 24 ब्रह्मपुरी कालोनी, श्रीगंगानगर, मै. नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट, जस्सा सिंह मार्ग, मु.न.12 चक 06 ई छोटी, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 8,000—00 (अखरे रूपये आठ हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर